ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के .....

महिला नेतृत्व कार्यशाला

21–23 जुलाई 2007

खरगोन

आयोजक

पहल जनसहयोग विकास संस्थान

सहयोग

द हंगर प्रोजेक्ट

एक कदम मंज़िल की ओर .....

भारत की संस्कृति में अनेको विविधिता है जो इसे अन्य देशों से अलग पहचान दिलाती है। विश्व पटल पर अलग पहचान रखने वाले इस देश में जहां विकास के माने बदल रहे हैं वहीं महिलाओं की स्थिति और दयनीय होती जा रही है। सदियों से चले आ रहे पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाएं दोयम दर्जे पर रही हैं जिसकी वजह से वे विकास की दौड़ में पीछे रह गई हैं। घर से लेकर बाहरी दुनिया के श्रम में 70 प्रति ात की भागीदारी करने वाली महिलाएं निर्णय व संपत्ति के हक से आज भी बाहर हैं। महिलाओं के श्रम को बेगार व बेकार की श्रेणी में रख दिया गया ताकि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ न उठा सकें। किसी भी देश के विकास का मापन उसके सभी नागरिकों के विकास से जोड़कर देखा जाता है ऐसे में महिलाओं की पिछड़ी हुई द ाा भारत के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है। इसी विचार के चलते आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिये अनेकों कदम उठाये गये जिसमें से एक महत्वपूर्ण व सार्थक कदम था 1993 में मध्यप्रदे ा में पंचायती राज की कल्पना का। उससे भी बड़ा एतिहासिक प्रयास था पंचायती राज में महिलाओं के लिये किया गया 33 प्रति ात का आरक्षण । परंतु जहां सदियों से महिलाओं को दबाया गया हो ,गुलामों की तरह जीने के लिये मजबूर किया गया हो वहां पर केवल आरक्षण बदलाव को अंजाम नहीं दे सकता। इसके लिये जरूरी था कि महिलाएं इस मानसिक व सामाजिक दासता की स्थिति से बाहर निकलें व अपने अधिकारों का प्रयोग करें। इसी विचार को अंजाम देने के लिहाज से पंचायत में चुनकर आई महिला जनप्रतिनिधियो ंके प्रि ाक्षण की योजना बनाई गई। इन प्रि ाक्षणों को क्रियान्वित करने की पीछे मुल मं ाा थी कि महिलाएं अपने अधिकारों को समझें एवं सवैधनिक रूप से प्राप्त पदों के अनुरूप भूमिका निभा सकें। हालांकि इस विचार के साथ यह डर भी था कि सदियों से बनाई गई इस पुरूष प्रधान व्यवस्था को चुनौती देने के लिये क्या यह प्रि ाक्षण समुचित होगा! फिर भी इस विश्वास के साथ काम आरंभ किया कि यह बदलाव की ओर हमारा पहला कदम होगा परंतु इसी के माध्यम से धीरे–धीरे परिवर्तन व्यापक रूप ले सकेगा।

इसी कड़ी में खरगोन जिले में 21 से 23 जुलाई 2007 तक तीन दिवसीय कार्य ाला का आयोजन किया गया जिसमें खरगोन ब्लॉक की 8 पंचायतों की 27 महिला प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इस कार्य ाला के लिये हंगर प्रोजेक्ट ने हमें वित्तीय सहयोग प्रदान किया जिसकी वजह से हम स्वपन को हकीकत में बदल सके जिसके लिये हम आभारी हैं। हम उन समस्त महिला जनप्रतिनिधियों के भी आभारी हैं जिनकी सहभागिता से यह कार्य ाला संपन्न हो सका। हम आभारी हैं अपने स्रोत व्यक्तियों के जिन्होंने आत्मीयता एवं सहजता के साथ इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया और पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं की जानकारी को सहभागियों के साथ बांटा।

प्रवीण गोखले
सचिव
पहल जनसहयोग विकास संस्थान

कार्य ाला के उद्दे य :–

- ♦ महिलाओं की सामाजिक स्थिति व भेदभाव के परिणाम पर समझ बनाना।
- ♦ अपने संवैधानिक अधिकारों की पहचान करना।
- ♦ महिलाओं में नेतृत्व का अहसास जगाना व अपनी नेतृत्व क्षमता से परिचित कराना।
- ♦ गांव/पंचायत के नेता के रूप में विकास के लिये दूरदृष्टि बनाने में मदद करना।
- ♦ विजन को हकीकत में बदलने के लिये कार्ययोजना बनाने के कौ ाल को निखारना।
- ♦ योजना को क्रियान्वित करने के लिये समर्थन ढांचा विकसित करने का कौ ाल बढ़ाना।

कार्य ाला के सत्र व विषय वस्तु –

- ♦ परिचय एवं स्वागत
- ♦ सामाजिक नागरिकता
- ♦ राजनैतिक नागरिकता

.....

- ♦ नेतृत्व व विजन
- ♦ पंचायत व संविधान का 73वां सं ोधन द्वारा दिया गया अवसर

.....

- ♦ विजन को हकीकत में बदलना
- ♦ योजना बनाने की प्रक्रिया
- ♦ सहयोग समर्थन ढांचा
- ♦ समापन

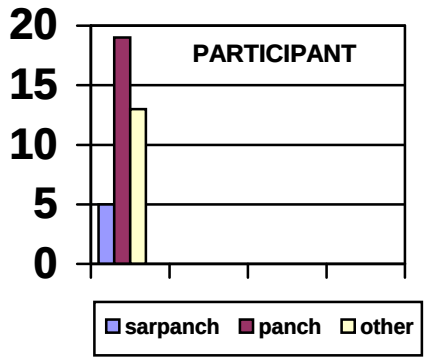

कार्य ाला में सहभागियों की संख्या – 37
कार्य ाला तिथि – 21 से 32 जुलाई 2007

स्रोत व्यक्ति – सुश्री कविता सुरे ा
दस्तावेजकर्ता एवं स्रोत सहयोगी – सुश्री अनुपा
कार्य ाला स्थल – सिद्धी विनायक मंगल भवन धर्म ाला ,खरगोन

- **एक ने दूसरे को रौशनी से जोड़ा (स्वागत एवं परिचय)** – कार्यशाला की भुरूआत में सभी सहभागियों के हाथ में एक–एक मोमबत्ती दिया गया। आरंभ में एक मोमबत्ती जलाई गई और इसके बाद एक–एक करके ये ज्योति एक हाथो ंसे होते हुए दूसरे हाथों तक पहुंच गई। हर हाथ में जलती हुई मोमबत्ती,चेहरे पर वि वास और होठों पर '**ले म ाालें चल पड़े हैं**' गीत के बोल। ऐसा लग रहा था जैसे सभी एक दूसरे से गीत के माध्यम से ज्ञान की रौ ानी के साथ दोस्ती व वि वास का उजाला फैलाने का वादा कर रहे हों । मोमबत्तियों को एक जगह एकत्रित करते हुए अलग–अलग उर्जा के स्रोत को एक बिंदु पर केन्द्रित किया गया। इसके बाद क्रम ाः एक–एक करके सभी सहभागियों ने एक दुसरे को मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। तत्प चात परिचय का दौर आरंभ हुआ जिसमें सभी सहभागियों ने स्वयं अपने नाम,पद एवं पंचायत का नाम बताया।

- **किस पंचायत में क्या हुआ ,क्या किया** – कार्य ाला में सहभागिता करने वाली इन जनप्रतिनिधियों
ने अब तक अपनी पंचायतों में जो भी कार्य किया है उसका अनुभव कैसा रहा है ,इस सत्र में यह जानने का प्रयास किया गया। इस कड़ी में सबसे पहले सिनखेड़ा की सरपंच सुधा बाई ने बताया कि हमारे गांव में खडंजा,रोड व स्कूल का काम हुआ है। पंचायत की बैठक भी हर माह होती है मगर ग्राम सभा में बहुत बुलाने पर भी अधिक महिलाएं नहीं आती।पिपराटा पंचायत की पंच माया बाई कहने लगी हमें तो मीटिंग की खबर ही नहीं मिलती। पिपराटा सरपंच कला रावत ने कहा ऐसा नहीं है हम खबर करते हैं फिर भी ये लोग नहीं आते। वैसे हमारे गांव में रोड , ौचालय व जॉब कार्ड बनाने का काम हो गया है।सुखपूरी पंचायत की सरपंच रामली बाई ने जैसे ही बेहद उत्साह व विश्वास के साथ कहा कि ''मैंने पंचायत में खूब झकास काम करवाया है '' उनके बोलने के अंदाज पर सभी खिलाखिलाकर हंस पड़े । सभी के खिलखिलाहट के बीच होंठों पर हंसी लिये सरपंच साहब ने बताया कि उन्होंने सब जगह भौचालय भी बनवा दिया,खड़ंजा और रोड भी । सुखपूरी के पंचों ने कहा हां हमारे गांव में ये सब काम हुए हैं। मेनगांव की पंच सुमनबाई का कहना था हमारी सरपंच तो कुछ नहीं करती। उनके पति ही सारा काम देखते हैं,हमको तो मीटिंग में भी नहीं बुलाते। इस तरह कार्य अनुभव और ि ाकवा ि ाकायतों के बीच ये बात यहीं खत्म हुई ।

आगे से हम बगैर पढ़े अब किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। कलारावत सरपंच पिपराटा

मेरे पंचायत में सब काम एकदम झकास हुआ है चाहो जिससे पुछलो। मैं खुद सब काम करवाती हूं।

- **सामाजिक नागरिकता** – बड़े समूह में ही सबसे पूछा गया कि महिलाओं को किस–किस

बात के लिये मना किया जाता है,रोक लगाई जाती है ? पहले तो सहभागी कहने लगे हमारे घर में कोई रोक नहीं है मगर जैसे–जैसे चर्चा आगे बढ़ी धीरे–धीरे सब कहने लगीं कि बस इस बात के लिये मना करते हैं या यह बात उन्हें पसंद नहीं है बाकी ठीक हैं ।

एक सहभागी ने बताया कि एक पंचायसत में किसी महिला का इसी बात पर तलाक हो गया कि उसने अपने पति को बताये बगैर अपना आपरे ान करा लिया। इस तरह सभी की चर्चा से निकल कर आया कि महिलाओं पर निम्न पाबंदी लगाई जाती है –

- बोलने की मनाही
- देखने की मनाही
- सुनने की मनाही
- कहीं आने जाने की मनाही
- निर्णय लेने की मनाही
- मन से कुछ भी करने की मनाही
- बच्चा पैदा करने या न करने की रोक
- बेटा पैदा करने का दबाव
- बच्चा न हो इसके लिये आपरे ान कराने पर रोक
- मर्जी से संबंध बनाने पर रोक
- काम करने की रोक या दबाव

सिमुले ान

इस गतिविधी में चुनरी का उपयोग किया जाता है। चर्चा से महिलाओं पर जिस–जिस बंधन की बात निकल कर आती है उस अंग पर चुनरी का बंधन लगयाया जाता है। जैसे बोलने के लिये मनाही है तो मुंह पर चुनरी बांधना ,आने जाने की मनाही के लिये पैरों पर बंधन आदि। इस तरह अंत में सहभागी के सभी अंगों मुह,पैर,हाथ,पेट,कमर,सीना,सिर,आंख व कान आदि पर चुनरी बंध जाता है।

एक तरह से ये सारे रोक महिलाओं पर बंधन की तरह हैं जो उनके विकास में बाधा बनती है। इस बात को और गहराई से समझने के लिये चुन्नी वाला सिमुले ान किया गया। इस गतिविधि के बाद सभी सहभागियों ने महिलाओं पर समाज के द्वारा लगाये गये बंधनों को स्पष्ट रूप से समझा। सभी का कहना था कि इन बंधनों को खोले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन बंधनों में से सबसे महत्वपूर्ण है निर्णय पर लगाई गई रोक की बंधन ,इसे खोलकर ही महिलाओं को विकास के लिये मिले अवसरों का बेहतर उपयोग कर अपनी क्षमता साबित करनी होगी। ये बंधन कौन खोलेगा कहने पर मोठापूरा की सरपंच रेखा बाई ने कहा कि और कौन खलेगा ,इन बंधनों को तो हमें ही खोलना होगा वरना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

सत्र का सार – इस समाज ने महिलाओं पर तरह–तरह के बंधन लगाये हैं जिससे वे विकास यात्रा में पीछे हो गई हैं। महिला चाहे कहीं की भी हो सभी की स्थिति कमोबे ा एक जैसी है। समाज जिसमें हम रहते हैं उसने महिलाओं को दोयम दर्जे पर ला खड़ा किया है जिससे वे हर क्षेत्र में भोषण व पिछड़ेपन का ि ाकार हो गई हैं। आवश्यक है कि इन पाबंदियों को दूर किया जाए ताकि महिलाओं को भी आजादी व सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल सके। इस सत्र को ''**मुंह सीके अब जी न पाउंगी** '' गीत के साथ समाप्त किया गया।

राजनैतिक नागरिकता – समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने के बाद राजनीतिक नागरिकता क्या है व यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है इस पर चर्चा की गई । इस सत्र में सबसे

पहले भारत,मध्यप्रदे ा व खरगोन जिले के नक ो की सहायता से दे ा के निर्माण व ढांचे को समझने का प्रयास हुआ। जिले से लेकर दे ा के मुखिया कौन हैं इस सवाल से संवैधानिक नेतृत्व की समझ बनाई गई।

इस सत्र में हुई चर्चा के खास बिंदु इस प्रकार हैं –

- संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है।
- सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार (समानता का अधिकार,स्वतंत्रता का अधिकार,धर्म की स्वतंत्रता, ाोषण के खिलाफ अधिकार,संवैधानिक उपचार का अधिकार) दिये गए हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता।
- संविधान के 73वे सं ाोधन में समानता के अधिकार का उल्लेख करते हुए पंचायत में 33 प्रति ात रिर्जवे ान दिया गया है।

सत्र का सार– महिलाएं भी इस दे ा की नागरिक हैं और संविधान पंरूषों की तरह ही बराबरी से समस्त मौलिक अधिकार देता है। समाज भले ही महिलाओं को कमतर या दोयम दर्जे का मानता हो परंतु संवैधानिक तौर पर महिलाओं को बराबर माना गया है एवं बराबरी से सभी अधिकार दिये गए हैं। अधिकारों की लड़ाई और जोर पकड़े इसी विचार को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्ति के अधिकार को पुख्ता करने का आह्वान करने वाले गीत "**बोल मेरी बहना बोल जरा**।" के साथ इस सत्र को समाप्त किया गया।

आओ पहचानें अपने नेता को (नेतृत्व)– 1 से 4 तक गिनती कर सभी सहभागियों को चार छोटे समूहों में बांटा गया । समूह में उन्हें चर्चा करना था कि उनके सबसे अच्छे नेता कौन हैं और क्यों यानि उनमें कौन से गुण हैं जो उन्हें अच्छा बनाती है ? सभी ने समूहवार प्रस्तुतियों में बताया कि किसी के लिये गांव का पटेल अच्छा नेता है तो किसी के लिये गांव का उपसरपंच जो पुरूष है। किसी के लिये विधायक तो कोई सीधे मुख्यमंत्री तक पहुच गई।

चर्चा से अच्छे नेता के निम्न गुण निकल कर आये जिसे बड़े समूह के बीच प्रस्तुत किया गया –

- सबकी मदद करना /सहयोग देना ।
- जाति–पाति ,छोटे –बड़े का भेद न करना।
- सबको साथ लेकर चलना।
- वार्ड व गांव की समस्याओं को पहचाानना।
- गांव की समस्याएं सुलझाना व सबके काम करवाना।
- ध्यान से सुनना।
- सबके झगड़े सुलझाना व समझाई ा देना।

- अच्छे से बात करना।
- बातें इधर उधर न करना।
- भरोसेमंद।
- पढ़ना लिखना न आने पर भी काम करवाना।
- अगुवाई करना।

इस प्रस्तुति से यह सवाल निकला कि ये सबतो हम औरों के बारे में बता रहे हैं , पर हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ?

दर्पण झूठ न बाले – सभी सहभागियों ने नेता के नाम पर कई सारे नाम गिनवाए परंतु स्वयं को नेता के रूप में नहीं देख पा रहे थे । सहभागी स्वयं को नेता के रूप में देख सकें इसके लिये दर्पण लेकर एक गतिविधि की गई । दर्पण में सूरज बाई ने स्वयं को देखते हुए पहले अपना नाम बताया फिर स्वयं को पत्नी,बहू,मां,ननद ,भाभी ,दादी कहा और अंत में कहा कि मैं मेनगांव की सरपंच हूं। यही गतिविधि एक अन्य सहभागी के साथ भी की गई । तब जाकर सभी कहने लगे हां पंचायत में चुनकर आए हैं तो हम भी नेता ही हैं। इसके पश्चात सभी से पुछा गया कि आपमें अच्छे नेता के कौन से गुण हैं – सरंपच रामली बाई ने कहा मैं खूब काम करवाती हूं तो सरपंच कला रावत कहने लगी मैं समस्याओं को हल करती हू । सरपंच सुधा जी को अच्छे से बात करना आता है तो सरपंच रेखा बाई को ध्यान से सुनना। इस प्रकार सभी ने अपने गुणों के आधार पर स्वयं को नेता के रूप में पहचाना।

सत्र का सार – महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आने के बावजुद स्वयं को नूता के रूप में नहीं देख पाती क्योंकि एक तो समाज और परिवार उन्हें इस भूमिका में पूरी तरह आने नहीं देता (पति व पुत्र के रूप में उनके पदों पर कब्जा रखकर) तो दूसरी तरफ प्र ाासन भी इन्हें आगे लाने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाता। इन बाधाओं को पार कर अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर महिलाओं को स ाक्त नेतृत्व की मिसाल बनानी है ताकि आने वाले समय में महिलाएं राजनेतिक मंच पर अग्रणी बन सकें।

आओ चलें हम सपनों के गांव में .... (विजन)

इस सत्र के आरंभ में सहभागियों से पुछा गया कि **मध्यांन्ह भोजन की योजना क्यों भाुरू की गई** ? '' इस सवाल का जवाब मिला :–

- ताकि बच्चे भूखे न रहें । और
- ताकि बच्चे पढ़ सकें। और
- ताकि बच्चे तंदुरूस्त हों। और
- ताकि दे ा का भविष्य अच्छा हो । अर्थात् आगे चलकर दे ा विकास कर सके इसलिये यह योजना बनाई गई।

इस सवाल जवाब के आधार पर चर्चा हुई कि हम सभी अपने जीवन में विभिन्न कार्यों की योजना बनाते हैं यानि योजना बनाने का कौ ाल हममें पहले से है । पर अपने गांव या पंचायत के विकास की योजना बनाते समय दूरदृष्टि रखना जरूरी है अन्यथा सामने दिखाई पड़ने वाले कार्यों में उलझ कर भविष्य को मजबूत नहीं बना पाएंगे दूरदृष्टि क्या है इसे समझने के लिये एक गांव

की कहानी सुनाकर विजनिंग अभ्यास किया गया। कहानी सुनाने के पश्चात सभी से पुछा गया कि कहानी वाले गांव में क्या–क्या खास बातें थीं ?
सहभागियों ने बताया कि –

- गांव के सभी बच्चे स्कुल जा रहे थे।
- गांव में साफ सफाई थी।
- भाराब दुकान नहीं था।
- सभी के घरों में भौचालय बने हुए थे।
- महिलाओं का समूह बना था एवं वे बैठक के लिये जाती थीं।
- पंचायत की बैठके बराबर हो रही थी जिसमें महिलाएं भी भागिल होती थी।

विजनिंग एक्सरसाईज
इस अभ्यास में सभी सहभागियों को आराम की स्थिति में लेट कर आंख बंद रखने के लिये कहा गया। इसके प चात प्र िक्षक द्वारा एक सुंदर व विकसित गांव की कहानी सुनाई गई। एक ऐसा गांव जहां भौतिक,मानवीय व सामाजिक सभी तरह के विकास की गतिविधियां की गई थी जिससे उस गांव के सभी लोग बेहद स्वस्थ व खु ाहाल थे।

गांव की खासियत सुनने के बाद अपने गांव की तुलना इस गांव से करने के लिये कहा गया। सभी ने बताया कि उनके गांव में सभी बच्चे न तो स्कूल जाते हैं न ही हर घर में भौचालय या साफसफाई है। भाराब के कारण हर गांव में लड़ाई झगड़ें होते हैं तो पंचायत की बैठकों या ग्रामसभा में महिलाएं नहीं आती। अभी एक दे गांव में ही महिलाओं के समूह बने हैं।
सत्र का सार – विकास की योजना बनाने के लिये सभी पहलुओं (भौतिक,मानवीय व सामाजिक) पर ध्यान देना आवश्यक है। कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो उस वक्त परे ाानी पैदा करे मगर भविष्य में बेहतर साबित होगा। अर्थात योजना बनाते समय जहां सामने आने वाली समस्याओं को देखना होगा नहीं वहीं आगे चलकर गांव व दे ा के विकास के लिये नयी नींव तैयार करने के बारे में विचार करना होगा।

विजन को हकीकत में बदलने के लिये कार्ययोजना बनाना – अपने गांव को इस सपने के गांव जैसा बनाने के लिये क्या,कब व कैसे करना होगा यह समझने के लिये सभी सहभागियों को पंचायतवार समूह में बांटा गया । इस समूह में उन्हें तीन कार्य करने थे –

- अपने पंचायत की समस्याओं की पहचान करना ।
- इन समस्याओं की प्राथमिकता का निर्धारण करना।
- इन समस्याओं को हल करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना ।

एक घंटे तक चर्चा के बाद विभिन्न पंचायतों के महिला जनप्रतिनिधियों ने अपनी पंचायत की समस्याओं का प्राथमिकीकरण इस प्रकार किया –

पंचायत का नाम	समस्या
पिपराटा ,जैतापूर	साफ सफाई , ौचालय
मेनगांव	भाराब की दुकान ,8वी तक स्कूल
सिनखेड़ा	10 वी तक स्कूल, ौचालय
निंगुल	पानी की समस्या,साफ सफाई
सुखपूरी	8 वी तक स्कूल,मांगलिक भवन,बिजली का पोल

कार्ययोजना बनाते समय चार हिस्सों में बात की गई – क्या करेंगे,कब करेंगे,कैसे करेंगे और किस की मदद लेंगे। सभी सहभागी बेहद उत्सुक थे कि कैसे जल्द से जल्द अपने पंचायत की इन

समस्याओं को दूर करें। उन्हें यह भी लग रहा था कि उनका गांव भी सपने वाले गांव जैसा बन जाए।

सत्र का सार– महिलाओं के पास पहले से ही जो योजना बनाने का कौ ाल है उसे चरणबद्ध तरीके से करने का अभ्यास करना एवं उनकी इस क्षमता को निखारना। सवालों के आधार पर योजना बनाने की प्रक्रिया को सरल रूप देकर कार्य को आसान बनाया जा सकता है। योजना बनाकर कार्य करने से लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है।

- **पंचायत राज व संविधान के 73वां सं ोधन द्वारा दिये गये अवसर** – सहभागियों के साथ चर्चा की गई कि समाज हमें पीछे धकेल रहा है और हमारा संविधान हमें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करा रहा है। हम जानते हैं कि सदियों से समाज में पुरूष नेता की भूमिका निभाते आ रहे थे एवं महिलाओं को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। परंतु संविधान ने इस अन्याय या गैरबराबरी को दूर करते हुए संविधान में बदलाव या सं ोधन के जरिये महिलाओं की राजनेतिक भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया। इसके मुताबिक पंचायत स्तर पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिये उन्हें 33 प्रति ात आरक्षण दिया गया। यही वजह है कि अब महिलाएं भी पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आई हैं। इस अवसर का हम महिलाएं ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठा सकते हैं यह हमें सोचना होगा। सामाजिक दासता के खिलाफ चैतन्य होने की बात कहते **" बहना चेत सके तो चेत जमाना आयो चेतन को ....."** गीत से इस सत्र का अंत किया गया।

- **एक और एक मिलकर ग्यारह (समर्थन तंत्र का ढांचा)** – सभी सहभागियों ने जब अपनी कार्ययोजना बनाली तब यह बात उठी कि सबने अपनी योजना में कहा है कि लोगों का सहयोग लेंगे,मिलकर काम करेंगे। तो वास्तव में सहयोग के लिये हमें कैसे काम करना होगा यह समझने के लिये भोर बकरी का खेल खेला गया। इस खेल के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि बकरियां कमजोर होकर भी अगर साथ मिल जाएं तो ताकतवर भोर का मुकाबला कर सकती हैं। महिला जनप्रतिनिधि भी अन्य महिलाओं के साथ संगठित होकर अपने पंचायत के विकास को और मजबूती दे सकेंगी ऐसा विश्वास बना।

  सत्र का सार – कठिन से कठिन कार्य भी संगठन की ताकत से किया जा सकता है। जो काम करना एक व्यक्ति के लिये असंभव है वही सामुहिक रूप से करने पर आसानी से संभव हो सकता है। एक महिला पंचायत या गांव में अकेले आने–जाने/बोलने में हिचक महसूस करती है या पंचायत बैठकों में अपनी बात नहीं रख पाती ,ऐसे में अगर महिलाएं एकत्रित होकर समूह के रूप में आगे बढ़ती हैं तो अपनी बात रखने व बैठकों में भाामिल होने के लिये कम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

- **समापन** – कार्य ाला की समाप्ति पर सभी सहभागियों ने कार्य ाला के सभी सत्रों की मुख्य बातों को याद किया एवं भविष्य में भी इस तरह की कार्य ाला आयोजित करने की मांग रखी।

संस्था पहल के सचिव श्री प्रवीण गोखले ने सभी सहभागियों को व्यक्तिगत व सामुहिक रूप से कार्य ाला में भाामिल होने के लिये धन्यवाद किया। संदर्भ व्यक्ति सुश्री कविता सुरे ा एवं सुश्री अनुपा का भी संस्था की ओर से धन्यवाद ज्ञापन किया गया। साथ ही सभी सहभागियों से सतत संपर्क व सहयोग बनाये रखने की उम्मीद के साथ विदाई ली।

–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–।।–0–

.

कार्य ाला में पंचायतवार भाामिल प्रतिभागियों की सूची :

क.	सहभागी का नाम	पद	पंचायत का नाम
1	रामली बाई	सरपंच	सुखपूरी
2	सुमित्रा बाई	पंच	सुखपूरी
3	ताहेरा खान	पंच	सुखपूरी
4	जुलेखा बी	पंच	सुखपूरी
5	सूरजबाई	सरपंच	मेनगांव
6	सुमन बाई	पंच	मेनगांव
7	सावित्री बाई	पंच	मेनगांव
8	कला रावत	सरपंच	पिपराटा
9	बुद्धि बाई	पंच	पिपराटा
10	बसुबाई	पंच	पिपराटा
12	माया बाई	पंच	पिपराटा
13	रेखा बाई	सरपंच	मोठापूरा
14	सुधा बाई	सरपंच	सिनखेड़ा
15	सलमा बी	पंच	सिनखेड़ा
16	ल़क्ष्मी बाल्के	पंच	सिनखेड़ा
17	रंजना वर्मा	पंच	जैतापूर
18	अनिता बाई	पंच	जैतापूर
19	दुर्गा मुजावदे	पंच	जैतापूर
20	छाया बाई	पंच	निंगुल
21	नानी बाई	पंच	निंगुल
22	नथी बाई	पंच	निंगुल
23	रामकुवर धनगर	पंच	निंगुल
24	राधा बाई	पंच	निंगुल
25	सीमा बाई	पंच	निंगुल
26	रमा यादव	जन समीक्षा निवारण समिति अध्यक्ष	खरगोन
27	सु ीला बाई	समूह सदस्य	सिनखेड़ा
	कला बाई	समूह सदस्य	सिनखेड़ा

अन्य सहभागियों की सूची –

क्र.	सहभागी का नाम	पद	निवास
1	कविता सुरे ा	स्रोत व्यक्ति	भोपाल
2	अनुपा	स्रोत व्यक्ति	इन्दौर
3	लता रंगराज	ि ाक्षिका	गोगावां
4	कान्ता सोनी	संस्था कार्यकर्ता	खरगोन
5	रेखा साहूकारे	संस्था कार्यकर्ता	खरगोन
6	कालूसिंह सिसोदिया	ि ाक्षक	गोगावां
7	वेसता आदिवासी	पंच	सुखपूरी
8	सुनिता कुमरावत	समाज सेविका	खरगोन
9	पप्पू मालवीय	ि ाक्षक	भााहपूरा
10	प्रवीण गोखले	संस्था सचिव	इन्दौर

बंधन से उजाले तक.....